13

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 19/2022

दायर दिनांक–11–02–2022

1. श्रीचन्द पुत्र झाबर उम्र 60 वर्ष जाती जाट निवासी ढेवा की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)
2. प्रमिला देवी पत्नी राजेश कुमार उम्र 40 वर्ष
3. सुनिता देवी पत्नी अमरचन्द उम्र 38 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी टोडी गुढ़गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज0)
4. मंजु देवी पत्नी मक्खनलाल उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी ढेवा की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

– वादीगण

बनाम

1. दीप सिंह पुत्र गुलाब सिंह उम्र 58 वर्ष
2. मूल सिंह पुत्र गुलाब सिंह उम्र 62 वर्ष सम्मत जाति राजपूत निवासीगण गिरधरपुरा शाहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धूमच्चकर, नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)
5. प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री तेजपाल दूत**
वकील प्रति. नं. :– **एक पक्षीय**

दावा बाबत घोषणार्थ
अ.धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 10.08.2022

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 88 की भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0 तथा राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद भूमि खाता संख्या 133 की भूमि खसरा नम्बर 388 रकबा 2.9 हैक्टर स्थित है तथा राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी पटवार की सरहद में नई खाता संख्या 45 की भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 2.94 हैक्टर स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया जा रहा है।

राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0 में 1/2 हिस्सा वादिया संख्या 4 का है तथा 1/6–1/6 हिस्सा क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1, 2 व मदन कंवर के नाम से दर्ज है। मदन कंवर फौत हो चुकी है जिसके [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है इसलिए मृत मदन कंवर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया प्रतिवादी [illegible] 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यहा [illegible] खसरा नम्बर 387 में से एक डोटेड लाईन का मौसमी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड [illegible] में ही दर्ज है, कटाण[illegible] है ना ही रास्ते के खसरा नम्बर अंकित है। वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या [illegible] 2 ने काश्त की सुविधा [illegible] मौके पर वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये A से B बिन्दुओ के अनुसार डाल रखा है जिन पर वर्तमान में ग्रेवल सड़क भी डाली जा चुकी है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 387 में से A स्थान से शुरू होकर खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:02:55 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

38[illegible] मध्य से शुरू होकर नजरी नक्शे मे दर्शाये "बी" से "सी" बिन्दुओ तक तथा खसरा नम्बर 389 की पश्चिमी सीमा से सटकर "C" से "D" बिन्दु तक तथा D से E बिन्दु तक जाता है तथा E बिन्दु से खसरा नम्बर 388 की पश्चिमी सीमा से सटकर F से G बिन्दु तक होते हुये आगे खेतो मे जाता है जो करीब 4 मीटर चौड़ा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है जिनके कारण वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे मे अंकन नही होने से भविष्य मे खातेदारों मे रास्ते को लेकर विवाद होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है इसलिए वादी भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिये वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाये गये A B C D E F G H 4 मीटर चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अंकन करवाना चाहते है तथा इस आशय की घोषणा करवाना चाहते है।

नजरी नक्शे में दर्शाया गया A से B रास्ता खसरा नम्बर 387 के मध्य से होता हुआ खसरा नम्बर 388 के 2/3 उत्तरी हिस्से से F से G रास्ता जाता है जो मौके पर मौजूद है इसी अनुसार रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड करवाना चाहते है जिसके लिये उक्त वाद पेश किया गया है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कई दफा रास्ते के अंकन हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 टालते आये है। वादीगण ने पटवारी हल्का से रास्ते के अंकन हेतु निवेदन किया परन्तु पटवारी हल्का ने दिनांक 24-01-2022 को इस हेतु इन्कार कर दिया तथा न्यायालय के आदेश पर ही अंकन करने हेतु कहा फलस्वरूप उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद के लिये वादाधिकार दिनांक 24-01-2022 को पटवारी हल्का द्वारा रास्ते मे अंकन करने हेतु इन्कार करने तथा न्यायालय का आदेश लाने पर ही अंकन करने हेतु कहने पर श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ। प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 के यहां भूमि रहन है तथा प्रतिवादी संख्या 6 लैण्ड होल्डर है तथा घोषणार्थ के वाद में आवश्यक पक्षकार है इसलिए बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है। विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे स्थित है इसलिए श्रीमान को उक्त वाद सुनने का पूरा पूरा श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

वादीगण द्वारा वाद-पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 88 की भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0 में मृतक मदन कंवर का नाम हटाया जाकर वादिया संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0, खसरा नम्बर 389 रकबा 2.52 है0 के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये A B C D E F G H 4 मीटर चौड़े रास्ते का अंकन किया जावें तथा इस आश्य की घोषणा की जावें। अन्य सिद्दी जो चाही जाने से रह गई हो और वादीगण के हक में पड़ती हो वादीगण को दिलाई जावें।

वादीगण द्वारा वाद-पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एवं प्रतिवादीगणों की ओर से कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत नही होने से प्रकरण मे तनकीयात कायम नही गई। शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में पी.डब्ल्यू.-1 श्रीचन्द पुत्र [illegible] पी.डब्ल्यू.-2 [illegible] पुत्र झूथाराम उपस्थित न्यायालय हाजा हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये तथा [illegible] ने [illegible] वाद-पत्र के समर्थन मे दस्तावेजात प्रदर्श-1 नक्शा, प्रदर्श-2 जमाबंदी खाता संख्या [illegible] संख्या 88, प्रदर्श-4 जमाबंदी खाता संख्या 45 , प्रदर्श-4 जमाबंदी खाता संख्या 45 [illegible] आदि प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में [illegible] से शहादत प्रतिवादी नही ली गई। शहादत वादी प्रस्तुत होने बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा है कि राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी की सरहद मे स्थित भूमि खाता संख्या 88

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:02:55 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

की भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0 मे मृतक मदन कंवर का नाम हटाया जाकर वादिया संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0, खसरा नम्बर 389 रकबा 2.52 है0 के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे मे वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाये A B C D E F G H 4 मीटर चौडे रास्ते का अंकन किया जावे तथा इस आशय की घोषणा की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–2 जमाबंदी खाता संख्या 133, प्रदर्श–3 जमाबंदी खाता संख्या 88, प्रदर्श–4 जमाबंदी खाता संख्या 45 , प्रदर्श–4 जमाबंदी खाता संख्या 45 तथा प्रदर्श–5 नक्शा ट्रेश से वर्णित भूमि ग्राम ढेवा की ढाणी मे स्थित होना तथा उक्त भूमि खातेदारी में रास्ता होना प्रमाणित है।

राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी पटवार हल्का टीकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0 में 1/2 हिस्सा वादिया संख्या 4 का है तथा 1/6–1/6 हिस्सा क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1, 2 व मदन कंवर के नाम से दर्ज है। मदन कंवर फौत हो चुकी है जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है इसलिए मृत मदन कंवर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। यहां यह भी दर्ज किया जा रहा है कि भूमि खसरा नम्बर 387 में से एक डोटेड लाईन का मौसमी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जो खातेदारी में ही दर्ज है, कटाणशुदा नही है ना ही रास्ते के खसरा नम्बर अंकित है। वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने काश्त की सुविधा के लिये मौके पर वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये A से B बिन्दुओं के अनुसार डाल रखा है जिन पर वर्तमान में ग्रेवल सडक भी डाली हुई है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 387 में से A स्थान से शुरू होकर खसरा नम्बर 387 के मध्य से शुरू होकर नजरी नक्शे में दर्शाये "बी" से "सी" बिन्दुओं तक तथा खसरा नम्बर 389 की पश्चिमी सीमा से सटकर "C" से "D" बिन्दु तक तथा D से E बिन्दु तक जाता है तथा E बिन्दु से खसरा नम्बर 388 की पश्चिमी सीमा से सटकर F से G बिन्दु तक होते हुये आगे खेतो में जाता है जो करीब 4 मीटर चौडा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अंकन नही होने से भविष्य मे खातेदारों में रास्ते को लेकर विवाद होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है इसलिए वादी भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिये वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये गये A B C D E F G H मीटर चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अंकन करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित है तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

वाद वादीगण उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार साबित पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 88 की भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0 में मृतक मदन कंवर का नाम हटाया जाकर वादिया संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा ग्राम ढेवा की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0, खसरा नम्बर 389 रकबा 2.52 है0 के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये A B C D E F G H 4 मीटर चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी एवं घोषित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पंची डिक्री ज[illegible]र्णय आज दिनांक 10.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:02:55 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ
अ.धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा सं0:– 19/2022 **(श्रीचन्द आदि बनाम दीप सिंह आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **10.08.2022** निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 88 की भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0 में मृतक मदन कंवर का नाम हटाया जाकर वादियां संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा ग्राम ढेवा की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 2.62 है0, खसरा नम्बर 389 रकबा 2.52 है0 के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये A B C D E F G H 4 मीटर चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है। वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी एवं घोषित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

जिन..........–........... मुबलिग............–...........बाबत......–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **10.08.2022** को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रै.) नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	[illegible]	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:02:55 IST
Reason: SelfAttested